पत्रांकः:विधि/2018–19/ 430 /वाणिज्य कर

कार्यालय– कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊः: दिनांकः 19 नवम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर/
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर (खण्डों में कार्यरत)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नर कार्यालय आदेश पत्र संख्या–278/जी0एस0टी0/2017–18/file no.118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 के बिन्दु कमांक–2 के अनुसार जोन में तैनात राज्य कर के उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं राज्य कर अधिकारी को उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1 सन् 2017) की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ उचित अधिकारी (प्रॉपर ऑफिसर) नामित किया गया है। पूर्व में मुख्यालय के पत्र संख्या–स्था–1–कार्य एवं दायित्व/624/वाणिज्य कर दिनांक 27.05.2008 द्वारा अधिकारियों को करयोग्य समस्त विधिक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार अधिकृत किया गया थाः–

1. डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त)–50 लाख से अधिक करयोग्य विकयधन वाले निर्माता इकाई तथा 1 करोड़ से अधिक करयोग्य बिक्री करने वाली ट्रेडिंग ईकाइयॉ ।
2. असिस्टेंट कमिश्नर (सहायक आयुक्त)– 15 लाख से 50 लाख तक करयोग्य विकयधन वाली निर्माता ईकाइयॉ ताा 25 लाख से 1 करोड़ तक करयोग्य बिक्री करने वाली ट्रेडिंग ईकाइयॉ ।
3. वाणिज्य कर अधिकारी (राज्य कर अधिकारी)– 15 लाख तक करयोग्य विकयधन निर्माता ईकाइयॉ तथा 25 लाख तक करयोग्य बिक्री करने वाली ट्रेडिंग ईकाइयॉ ।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत उपर्युक्त आवर्त सीमा निम्न प्रकार संशोधित की जाती हैः–

1. उपायुक्त– 2 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त– 25 लाख से अधिक व 2 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी– 25 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

खण्ड में तैनात उपायुक्त राज्य कर, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपने खण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यापारियों के संबंध में उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।

भवदीया,

19/11/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।